न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
83 / 2017 / प्रा.पत्र / 2017	24.11..2017	25.11.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1—श्री बाबूलाल जैन पुत्र श्री महावीर जैन जाति महाजन निवासी दीनदयाल कॉलोनी निवाई जिला टोंक मैसर्स बाबूलाल हेमराज जैन बड़ा बाजार निवाई जिला टोंक
2— मैसर्स बाबूलाल हेमराज जैन बड़ा बाजार निवाई जिला टोंक
3—श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री पारस मल निवासी कृष्णा कॉलोनी निवाई जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स जे. के. एजेन्सीज दुकान नं. 2, गोदाम वालों का कटला सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक
4— मैसर्स जे. के. एजेन्सीज दुकान नं. 2, गोदाम वालों का कटला सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक
5—श्री विशोक शर्मा एच.यू.एफ. पुत्र श्री चेतन लाल शर्मा निवासी प्लॉट नं. 275, बसंत बिहार स्कीम नं. 3, अलवर प्रोपरायटर मैसर्स नमन मार्केटिंग बी— 1, कृष्णा अपार्टमेन्ट, हाथी बाबू मार्ग, पीतल फैक्ट्री के पास, बनीपार्क, जयपुर
6—मैसर्स नमन मार्केटिंग बी— 1, कृष्णा अपार्टमेन्ट, हाथी बाबू मार्ग, पीतल फैक्ट्री के पास, बनीपार्क, जयपुर

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—
1—प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2—अप्रार्थीगण उपस्थित

:—निर्णय—: **दिनांक 25.11.2021**

संक्षेप में प्रार्थना [illegible] कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.01..2017 को समय 1.30 पी.ए[illegible] निरीक्षण मैसर्स बाबूलाल हेमराज जैन बड़ा बाजार निवाई जिला टो[illegible] हैसियत से श्री बाबूलाल जैन पुत्र श्री महावीर जैन जाति महाजन [illegible] जिला[illegible] मैसर्स बाबूलाल हेमराज जैन बड़ा बाजार [illegible] पदार्थ का कारोब[illegible] हुए उपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.05 11:27:51 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **पान मसाला (तानसेन ब्ल्यूज ब्राण्ड)** जिसके बैच नं0 12/16 एंव पैकिंग की दिनाक 12/16 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री बाबूलाल जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता बाबूलाल जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे लगभग 100 पैकेट मूल पैक पैक्ड अवस्था मे प्रत्येक पैक मे 30–30 पाउच 3–3 ग्राम के **पान मसाला (तानसेन ब्ल्यूज ब्राण्ड)** रखे हुये मे से 3–3 ग्राम के 16 मूल पैक वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री बाबूलाल जैन को रू0 1920/–अक्षरे एक हजार नौ सौ बीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **पान मसाला (तानसेन ब्ल्यूज ब्राण्ड)** 16 मूल पैक प्रत्येक मे 30–30 पाउच 3–3 ग्राम को चार–चार नग के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर एंव नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1532 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1532 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. बाबूलाल जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री बाबूलाल जैन ने मौके पर **पान मसाला (तानसेन ब्ल्यूज ब्राण्ड)** का बतोर वारंटी मैसर्स जे. के. एजेन्सीज दुकान नं. 2, गोदाम वालों का कटला सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक का खरीद/वारन्टी बिल संख्या/इन्वॉइस नं0 ए–9934 दिनांक 23.01.2017 की छायाप्रति पेश की। जे. के. एजेन्सीज से पत्राचार करने पर उनके द्वारा बतोर वारन्टी मैसर्स नमन मार्केटिंग बी– 1, कृष्णा अपार्टमेन्ट, हाथी बाबू मार्ग, पीतल फैक्ट्री के पास, बनीपार्क, जयपुर का खरीद/वारन्टी बिल संख्या/इन्वॉइस नं0 3020 दिनांक 02.01.2017 की छायाप्रति पेश की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.05 11:27:51 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया एवं प्रत्येक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2017 / 850 दिनांक 02.03.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0 / 08 / एक्ट / 2017 / 15 दिनांक 03.02.2017 एवं निदेशक, रेफरल फूड लेब मैसूर अंतिम जांच रिपोर्ट दिनांक 31.05.2017 अनुसार बाबूलाल जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **पान मसाला (तानसेन ब्ल्यूज ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zz) (iii) व 3(1) (zz) (v) एंव 3(1) (zx) के अनुसार **असुरक्षित** (Unsafe) व **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का **पान मसाला (तानसेन ब्ल्यूज ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49)में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 व 4 अनुपस्थित। अप्रार्थीगण की और से अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने उपस्थित होकर किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **पान मसाला (तानसेन ब्ल्यूज ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **पान मसाला (तानसेन ब्ल्यूज ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49)के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री बाबूलाल जैन पुत्र श्री महावीर जैन जाति महाजन निवासी दीनदयाल कॉलोनी निवाई जिला टोंक मैसर्स बाबूलाल हेमराज जैन बड़ा बाजार निवाई जिला टोंक पर शास्ति 25,000 (अक्षरे पच्चीस हजार रू0) अप्रार्थी श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री पारस मल निवासी कृष्णा कॉलोनी निवाई जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स जे. के. एजेन्सीज दुकान नं. 2, गोदाम वाली ... सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.05 11:27:51 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पर शास्ति 25,000 (अक्षरे पच्चीस हजार रू0) अप्रार्थी श्री विशोक शर्मा एच.यू.एफ. पुत्र श्री चेतन लाल शर्मा निवासी प्लॉट नं. 275, बसंत बिहार स्कीम नं. 3, अलवर प्रोपरायटर मैसर्स नमन मार्केटिंग बी– 1, कृष्णा अपार्टमेन्ट, हाथी बाबू मार्ग, पीतल फैक्ट्री के पास, बनीपार्क, जयपुर पर शास्ति 25,000 (अक्षरे पच्चीस हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 25.11.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

25.11.2021

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.05 11:27:51 IST
Reason: SelfAttested